जागरण YAHOO! INDIA दैनिक जागरण e PAPER

पटना, जागरण ब्यूरो : जी हां, अब लोकसेवकों को समय पर काम करना होगा। जन सरोकार से जुड़े तमाम तरह के काम। विभिन्न तरह के प्रमाणपत्र जारी करने हों या राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस .., समय पर काम न किया तो 5 सौ से 5 हजार रुपये तक दंड का बोझ उठाना होगा। हर दिन के विलंब पर 250 रुपये के दर से दंड की राशि जुटती जायेगी। राशि वेतन से कटेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली को मंजूरी दे दी है। सरकार प्राथमिकता के साथ सेवा के अधिकार कानून के प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना चाहती है, ताकि जनता को शासन की सक्रियता का एहसास हो। किसी आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे। इसके अभाव में सेवा के लिए नियम समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। नियत समय में बंदी के दिनों को शामिल नहीं किया जायेगा। आम जनता की सुविधा के लिए सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर लगाये जायेंगे। ऐसी सूचना नहीं प्रदर्शित करने वाले अधिसूचित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। प्रथम और द्वितीय अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। समय पर काम न करने पर 500 से 5 हजार दंड

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति